प्रेसनोट –

दिनांक- 13.09.2026

थाना हलधरपुर, जनपद मऊ।

पुलिस मुठभेड़ से वांछित अभियुक्तगण तथा चोरी/लूट का माल खरीदने वाला सुनार गिरफ्तार कब्जे से अवैध तमंचा, कारतूस व लूटे गए सोने के आभूषण बरामद-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाय जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के कुशल पर्यवेक्षण में तथा क्षेत्राधिकारी मधुबन श्री दिनेश दत्त मिश्र के नेतृत्व में जनपद मऊ में अपराधियों एवं वांछित/वारंटी अभियुक्तों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना हलधरपुर पुलिस टीम को एक बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। दिनांक 12.09.2026 को पुलिस मुठभेड़ (मु0अ0सं0 195/26 व मु0अ0सं0 190/26) के दौरान अभियुक्त मयंक उर्फ प्रिंस यादव को गिरफ्तार किया गया था, जबकि उसके दो साथी मौके से अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए थे। आज दिनांक 13.09.2026 को मुखबिर खास की सटीक सूचना पर पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए गहनी गाँव स्थित पीपल के पेड़ के पास से चोरी/लूट व मुठभेड़ में फरार चल रहे दोनों अभियुक्तों तथा लूट/चोरी का माल खरीदने वाले सुनार को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया गया।

घटनाक्रम एवं पूछताछ का संक्षिप्त विवरण-

पूछताछ के दौरान अभियुक्त राजा राजभर व लाला उर्फ योगेंद्र राजभर ने स्वीकार किया कि वे अपने साथी मयंक उर्फ प्रिंस यादव के साथ मिलकर लूट व चोरी की घटनाओं को अंजाम देते हैं। दिनांक 05.09.2026 को उन्होंने जमीन सहरुल्लाह के पास एक दंपत्ति को तमंचा दिखाकर उनके साथ लूटपाट की थी। दिनांक 12.09.2026 को पुलिस चेकिंग के दौरान भागते समय पुलिस टीम पर जानलेवा फायरिंग की थी, जिसमें मयंक पुलिस की जवाबी कार्रवाई में घायल होकर पकड़ा गया था तथा ये दोनों भाग निकले थे।

आज ये दोनों लूटे हुए आभूषणों को बेचने हेतु रघौली बाजार के सुनार अनुराग वर्मा (जिज्ञासा ज्वेलर्स) को बुलाकर मोल-भाव कर रहे थे और बाहर भागने की फिराक में थे कि पुलिस टीम ने तीनों को घेरकर गिरफ्तार कर लिया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

1. राजा राजभर पुत्र भृगु राजभर (उम्र करीब 20 वर्ष), निवासी ग्राम रसड़ी, थाना घोसी, जनपद मऊ।
2. लाला उर्फ योगेंद्र राजभर पुत्र श्रीराम अवतार राजभर (उम्र करीब 24 वर्ष), निवासी ग्राम रसड़ी, पोस्ट सराय गणेश, थाना घोसी, जनपद मऊ।

3. अनुराग वर्मा (सुनार - प्रोपराइटर जिज्ञासा ज्वेलर्स, रघौली बाजार) पुत्र विनोद वर्मा (उम्र करीब 24 वर्ष), निवासी माउरबोझ, थाना घोसी, जनपद मऊ।

बरामदगी का विवरण-

1. 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर
2. 01 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर (अभियुक्त राजा राजभर के पास से)।
3. 03 अदद पीली धातु के लॉकेट (लूटे गए मंगलसूत्र व आभूषण से संबंधित)।
4. 03 अदद एंड्रॉइड/स्क्रीनटच मोबाइल फोन (वीवो, ओप्पो, रियलमी)।
5. नगदी व अन्य सामान: ₹50 नगद एवं

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 190/26 - धारा 309(4), 317(2), 317(4) बीएनएस (थाना हलधरपुर, जनपद मऊ)
2. मु0अ0सं0 195/26 - धारा 109(1), 3(5) बीएनएस व धारा 3/25 आर्म्स एक्ट (थाना हलधरपुर, जनपद मऊ)

प्रेसनोट –

दिनांक- 13.09.2026

थाना सरायलखंसी, जनपद मऊ।

हत्या में वाछिंत 01 बाल अपचारी पुलिस अभिरक्षा में –

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाय जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के कुशल पर्यवेक्षण में तथा क्षेत्राधिकारी नगर श्री नितेश प्रताप सिह के नेतृत्व में थाना सरायलखन्सी पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व जरिये मुखबिर की सूचना पर दिनांक 13.09.2026 को हसनपुर महेश राय का भट्ठा (अदरी मोड़) के पास से मु0अ0स0 110/26 धारा 191(2), 109(1), 115(2), 352, 351(2),103(1) में वांछित बाल अपचारी पुलिस अभिरक्षा में लिया गया।

सक्षिप्त विवरण-

पूछताछ में बाल अपचारी ने बताया साहब हमारे पडोसी नन्दलाल उर्फ पिन्टू से जमीन के विवाद को लेकर लड़ाई हो गयी थी जिसमें दोनो पक्षों द्वारा मार-पीट किया गया था जिसमें इलाज के दौरान नन्दलाल के तरफ के भरत की मृत्यु हो गयी थी जब मुझे पता चला कि उन लोगों द्वारा मेरे नाम पर मुकदमा लिखवाया गया है तभी से तभी से पुलिस से छिपकर रह रहा हू। आज मे पुलिस से छिपकर घर जा रहा था कि आप लोगो द्वारा पकड़ लिया गया।

पंजीकृत अभियोंग-

1. मु0अ0स0 110/26 धारा 191(2), 109(1), 115(2), 352, 35(2)1,103(1)

गिरफ्तारी की स्थान व दिनांक-

दिनांक 13.09.2026, स्थान- हसनपुर महेश राय का भट्ठा (अदरी मोड़) के पास से

प्रेसनोट –

दिनांक- 13.09.2026

दक्षिणटोला, जनपद मऊ।

दो नफर शातिर अपराधी गिरफ्तार कब्जे से एक अदद पिस्टल, एक अदद नाजायज तमंचा व एक अदद जिन्दा कारतूस तथा एक अदद मोटर साइकिल बरामद

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाय जा रहे अभियान के क्रम में व अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के कुशल पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री नितेश प्रताप सिंह के कुशल नेतृत्व में दिनांक 12.09.2026 को थाना दक्षिण टोला पुलिस टीम व स्वाट टीम मऊ को क्षेत्र भ्रमण के दौरान सूचना मिली की घोसी की तरफ से एक मोटर साइकिल दो बदमाश आ रहे है, जो भदेसरा मोड़ से होते हुए अन्दर अन्दर शहर की तरफ जायेंगे, जिनके पास नाजायज असलहा व कारतूस है, उक्त सूचना पर पुलिस टीम के साथ भदसेरा मोड़ पहूंच कर दो टीमो में विभक्त होकर उक्त मोटर साइकिल के आने का इन्तजार करने लगे और पास आने पर मोटर साइकिल को दोनो तरफ से पुलिस टीम द्वारा घेर कर रोक लिया गया कि मोटर साइकिल सवार व्यक्ति सामने पुलिस देखकर मोटर साइकिल को पीछे की तरफ मोड़ कर भागना चाहे की असंतुलित होकर मौके पर ही मोटर साइकिल सवार दोनो व्यक्ति मोटर साइकिल सहित गिर गये कि पुलिस टीम द्वारा मौके पर भागने का मौका दिये बगैर घेर कर पकड़ लिया गया। पकड़े गये व्यक्तियो की जामा तलाशी ली गयी तो मोटर साइकिल चला रहे व्यक्ति के कब्जे से एक अदद नाजायज पिस्टल 32 बोर व मोटर साइकिल पर बैठे दुसरे व्यक्ति के कब्जे से एक अदद नाजायज तमंचा 12 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर बरामद हुआ।

पकड़े गये व्यक्तियो से पूछताछ किया गया तो पकड़े गये व्यक्ति 1. रवि यादव पुत्र प्रेमचन्द यादव सा0 रेवरीडीह थाना कोपागंज जनपद मऊ उत्तम भारद्वाज पुत्र देवनाथ सा0 रेवरीडीह थाना कोपागंज जनपद मऊ बताये की उनके पास से बरामद असलहों को वह अपनी शौक के लिए तथा लोगों में धौंस जमाने के लिए रखते है। पकड़े गये व्यक्तियों से असलहों का स्त्रोत के बारे में पूछने पर कुछ नही बता रहे है।

उपरोक के संबंध में मु0अ0सं0 133/2026 धारा 3/25 आर्म्स पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है तथा अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग का विवरण-

1. मु0अ0सं0 133/2026 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण –

1. रवि यादव पुत्र प्रेमचन्द यादव सा0 रेवरीडीह थाना कोपागंज जनपद मऊ
2. उत्तम भारद्वाज पुत्र देवनाथ सा0 रेवरीडीह थाना कोपागंज जनपद मऊ

बरामदगी का विवरण-

1. एक अदद नाजायज पिस्टल 32 बोर
2. एक अदद नाजायाज तमंचा 12 बोर
3. एक अदद मोटर साइकिल
4. दो अदद एण्ड्रायड मोबाइल फोन

गिरफ्तारी का दिनांक व स्थान-

भदेसरा मोड़ , दिनांक- 12.09.2026

प्रेसनोट –

दिनांक- 13.09.2026

जनपद मऊ।

जनपद मऊ पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में दिनांक- 13.09.2026 को जनपद के समस्त थाना क्षेत्रों में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में विभिन्न थानो द्वारा प्रभावी कार्यवाही करते हुए अलग- अलग स्थानों से अभियुक्तों की गिरफ्तारी /बरामदगी व विभिन्न मामलों में वारंटी अभियुक्त को भी गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की गई।

थानावार कार्यवाही का विवरण

1.थाना मधुबन पुलिस द्वारा वसूली वारंटी अभियुक्त मुकेश राजभर पुत्र रमाकान्त निवासी ग्राम गांगोबीर थाना मधुबन जनपद मऊ।

2.थाना कोपागंज पुलिस द्वारा वसूली वारंटी अभियुक्त इन्द्रनाथ पुत्र रामेश्वर निवासी ग्राम देवकली विशुनपुरा थाना कोपागंज जनपद मऊ।

अभियुक्तगण उपरोक्त को गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया गया

प्रेसनोट –

दिनांक- 13.09.2026

जनपद मऊ।

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में दिनांक 13.09.2026 को जनपद मऊ के समस्त थाना क्षेत्रान्तर्गत संदिग्ध व्यक्तियों/ वाहनो व यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध व्यापक चेकिंग अभियान चलाया गया

इस अभियान के अंतर्गत 35 टीम गठित कर जनपद के 35 स्थानों पर बदल बदलकर लगभग 1360 सदिग्ध वाहनो/व्यक्तियो को चेक किया गया जिसमें यातायात के नियमों का पालन न करने पर 499 वाहनों को विभिन्न धाराओ में चालान व 02 वाहनो को सीज किया गया, साथ ही साथ अन्य लोगों को हिदायत भी दी गयी तथा यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाने हेतु वाहन चालकों को नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित किया गया।

पुलिस अधीक्षक मऊ द्वारा आमजन से अपील की गई है कि वे यातायात नियमों का पालन करें, हेलमेट एवं सीट बेल्ट का अनिवार्य रूप से प्रयोग करें एवं गलत स्थानो पर पार्किंग नही करे तथा सुरक्षित यातायात में सहयोग प्रदान करें।

प्रेसनोट –

दिनांक- 13.09.2026

जनपद मऊ।

मिशन शक्ति 5.0 द्वितीय चरण के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर परिवार परामर्श समिति की बैठक की गयी, जिसमें 35 मामलों में से 18 मामलों का हुआ निस्तारण

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में आज दिनांक 13.09.2026 को परिवार परामर्श समिति की बैठक पुलिस कार्यालय में सम्पन्न हुयी। इस दौरान परिवार परामर्श समिति के सदस्यो के समक्ष कुल 35 मामले आये, जिसमें परिवार परामर्श समिति के सदस्यो के प्रयास से 18 मामलों का निस्तारण हुआ, 3 एफ आई आर हुए है। 9 बन्द हुए तथा 6 सुलह हुए हैं जिनके नाम पूनम/कृष्णा, रूपम/अनिल, निशा/लक्ष्मीना, अर्चना/मिथलेश, बिन्दू/रमेश, आरती/दिनेश हैं। शेष अगली तारीख 27-09-2026 दी गयी है।

परिवार परामर्श समिति की बैठक में अर्चना उपाध्याय, सर्वेश दूबे, शाहिद पैरिस, मौलवी अरशद रहे तथा इन्द्रभूषण पांडेय, उ0नि0 समरजीत यादव, महिला आरक्षी पूनम पाल, म0आ0 राजलक्ष्मी, म0आ0 करिश्मा उपस्थित रहे।